सिटी बोर्ड (नगर पालिका) जौनपुर की बैठक, दिनांक 25.4.92 दिन शनिवार अपराह्न 5.00 बजे श्री सीताराम यादव, अध्यक्ष, सिटी बोर्ड जौनपुर की अध्यक्षता में टाउनहाल में हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे, उनके नाम व कार्यवाही निम्न प्रकार हैं।

1	श्री सीताराम यादव	अध्यक्ष,	
2	" राजेन्द्र प्रतापसिंह	मान्य	सभासद
3	" नरेन्द्र बहादुर सिंह	"	"
4	" वीरेन्द्र प्रताप यादव	"	"
5	" राम अधार यादव	"	"
6	" मिठाईलाल	"	"
7	" हाजी मो० सलीम	"	"
8	" डा० सुनील श्रीवास्तव	"	"
9	" डा० कृष्णकुमार श्रीवास्तव	"	"
10	" मिर्जा ज्यारत हुसेन	"	"
11	श्रीमती सुधा श्रीवास्तव	नामित	"
12	श्री कैलाशनाथ मौर्य	मान्य	"
13	" रमजान खाँ	"	"
14	" बाबूलाल गुप्त	"	"
15	" गणेशनाथरावत	"	"
16	" मुख्तार अहमद	"	"
17	" शिवकुमार गुप्त	"	"
18	" सै० मेंहदी हसन	"	"
19	" अनीस रजा उर्फ महफ्फी	"	"

[signature] 25/4/92 [signature]

(शाह महमूद अहमद)
नगर अभियन्ता व
कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी,
सिटी बोर्ड जौनपुर
25.4.92

(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड
जौनपुर
25-4-92

Scanned with OKEN Scanner

विशेष प्रस्ताव :- 25-4-92

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
1. सिटी बोर्ड जौनपुर के लिये वर्ष 1992-93 के आय व्ययक की स्वीकृति हेतु विशेष प्रस्ताव पर विचार।	स्वीकार।
2. आख्या कर-अधीक्षक, सिटी बोर्ड जौनपुर दिनांक 16-5-92 बावत कर निर्धारण जो 1977-78 में हुआ था, और 1983 में समाप्त होकर वर्ष 1984 में पुनः कर-निर्धारण होना चाहिये था, जो कतिपय व्यवधानों के कारण सम्भव नहीं हो पाया, इसलिये बोर्ड की वित्तीय स्थिति की सुधार की दिशा में यू०पी० म्यु० एक्ट 1916 की धारा 141(2) एवं 145(1) में घोषित प्राविधानानुसार नगर पालिका (अब सिटी बोर्ड) जौनपुर की सीमा में स्थित भवनों पर पंचवर्षीय कर पुनः निर्धारण करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने की ~~कार्यवाही~~ स्वीकृति परिषद के अनुमोदन हेतु।	प्रस्ताव पर विचार विमर्श के पश्चात यह आम सहमति हुयी कि उक्त प्रस्ताव वित्त कमेटी के माध्यम से पारित होने के पश्चात बोर्ड की बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जाय।

25/4/92
(शाह महमूद अहमद)
नगर अभियन्ता व
कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी
सिटी बोर्ड जौनपुर

(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड
जौनपुर

Scanned with OKEN Scanner

सामान्य प्रस्ताव २५-५-९२

प्रस्ताव	निर्णय
1. पिछली बैठक दिनांक 29-2-92 की कार्यवाही बाबत पुष्टि।	पढ़ी गयी एवं सर्वसम्मति से उसकी पुष्टि की गयी।
2. सिटी-बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1991-92 के माह फरवरी 1992 का मासिक आय-व्यय लेखा पत्रावलि परिषद अवलोकनार्थ व अनुमोदन हेतु	स्वीकार।
3. पत्रावलि बावत विभिन्न कमेटियों के चुनाव के सम्बन्ध में सिटी-बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 29.2.92 के प्रस्ताव सं० 18 के अन्तर्गत विभिन्न छ समितियों के गठन हेतु सदस्यों के चुनाव कार्यवाही प्रक्रिया में नामांकन, नाम वापसी, तथा मतदान की तिथि क्रमशः 12, 13, 16 मार्च 92, रखी गयी थी, तथा उक्त कार्यक्रम का संचालन करने हेतु अध्यक्ष, सिटी-बोर्ड जौनपुर को अधिकृत किया गया, पर मान्य सभासद श्री शोभनाथ [illegible], श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री वीरेन्द्र-प्रताप यादव, वगैरह के आवेदन-पत्र दिनांक 16-3-92 कि होली पर्व की व्यस्तता के कारण चुनाव में सभी सदस्यों का सम्मिलित होना सम्भव नहीं है, और सभासदों की राय है कि आम सहमति से समितियों का चुनाव करा लिया जाय, और 16-3-92 को	पढ़ा गया। सर्वसम्मति से स्वीकार।

25-4-92

प्रस्ताव - | **निर्णय :-**

3. होनेवाले चुनाव होलीपर्व के पश्चात आम सहमति से कराये जाय तत्पश्चात श्री सोम- नाथ आर्य, श्री हैदरमेहदी खान, सभासद आदि के आग्रह पर कि डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद कमेटियों के चयन में जो सूची बनाकर प्रस्तुत करेंगे, वह श्री वीरेन्द्र- प्रताप यादव, श्री नरेन्द्रबहादुर सिंह, श्री बाबूलालगुप्ता, व श्री मिठाईलाल मान्य सभासद आदि को मान्य होगा, के अनुपालन में डा० श्री कृष्ण- कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभा- सद द्वारा विरचित (Prepared) सूची, जिसके पक्ष में 17 (सत्रह) मान्य सभासदों ने लिखित सहमति प्रदान की है, जो निम्नवत है, पारित सूचनार्थ :—

1. शिक्षा - समिति :-

1 श्री सोमनाथ आर्य
2 " वीरेन्द्रप्रताप यादव
3 श्रीमती विमला सिंह
4 " सुधा श्रीवास्तव
5 " रामअधार यादव
6 " शिवकुमार गुप्ता
7 " नरेन्द्रबहादुर सिंह

2. पुस्तकालय व वाचनालय समिति :-

1. श्री डॉ० मेंहदी हसन
2 " वीरेन्द्र प्रताप यादव
3 " अमरनाथ
4 " दुबलाल
5 " हाजी मो० सलीम
6 " मिठाई लाल
7 श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव

3. सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति

1. श्री अनसरजा
2 श्रीमती विमला सिंह
3 श्री गणेशनाथ रावत
4 " अमरनाथ
5 " मुख्तार अहमद
6 " दुबलाल
7 " शिवकुमार गुप्त

4. जल निर्माण समिति :-

1. श्री रविन्द्र प्रताप सिंह
2 " मुख्तार अहमद
3 " मिर्जा ज्यारत हुसेन
4 " कैलाशनाथ मौर्य
5 " विद्यासागर सोनकर
6 " ~~गणेशनाथ रावत~~ नजीर अहमद
7 " दयाशंकर

5. जन स्वास्थ्य समिति :-

1. श्री डॉ० मेंहदी हसन
2 " बाबूलाल गुप्ता
3 " दयाशंकर
4 " अनसरजा
5 " नजीर अहमद
6 श्रीमती विमला सिंह
7 श्री वि...

Scanned with OKEN Scanner

25-5-92

3. प्रस्ताव — निर्णय

6. वित्त समिति :-

1 श्री शोभनाथ मौर्य
2 " वीरेन्द्र प्रताप यादव
3 " अनीस रजा
4. " रमजान खां
5. " बाबूलाल गुप्ता
6 " दयाशंकर गुप्त
7 " राम अच्छयर यादव

7. प्रकाश समिति :-

1 श्री मिठाईलाल
2 " नजीर अहमद
3 " मुख्तार अहमद
4 " रविन्द्र प्रताप सिंह
5 " मिर्जा ज्याफत हुसेन
6 " शिवकुमार गुप्ता
7 " गणेशनाथ रावत

8. जलकल समिति

1. श्री हाजी मो० सलीम
2 " रविन्द्र प्रताप सिंह
3 " नरेन्द्र बहादुर सिंह
4 " अमरनाथ
5 " विद्यासागर सोनकर
6 " कैलाशनाथ मौर्य
7 " अनीस रजा

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव:-

निर्णय:-

4. विभिन्न ~~[illegible]~~ समितियों के सभापतियों का निर्वाचन:- विभिन्न समितियों के सभापतियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सदन में निम्न प्रकार चयन किया गया।

नाम कमेटी	प्रस्तावक	समर्थक
1. शिक्षा समिति - श्री मिठाईलाल	डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव	श्री शिवकुमार गुप्त
2. पुस्तकालय व वाचनालय समिति श्री शिवकुमार गुप्त	श्री गणेशनाथ रावत	श्री हाजी मो० सलीम
3. सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु:- श्री गणेशनाथ रावत	श्री शिवकुमार गुप्त	श्री बाबूलाल गुप्त
4. निर्माण समिति हेतु:- श्री दयाशंकर गुप्त	डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव	डा० सुनील श्रीवास्तव
5. स्वास्थ्य समिति हेतु:- श्री राम अधार यादव	श्री शिव कुमार गुप्त	डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव
6. वित्त समिति हेतु - श्री बाबूलाल गुप्त	डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव	श्री गणेशनाथ रावत
7. प्रकाश समिति हेतु श्री मिर्जा ज्यारत हुसैन	श्री गणेशनाथ रावत	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह
8. जलकल समिति हेतु श्री मुरली मनोहर	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	श्री एस० मेंहदी हसन

उपरोक्त समितियों के प्रस्तावित सभापतियों का चुनाव सदन द्वारा सर्व सम्मति से पारित हुआ।

5. पालिका कर निर्धारण रजिस्टर में नामांकन हेतु बोर्ड की बैठक दिनांक 31-8-89 के प्रस्ताव सं० 9 के अन्तर्गत पंजीयन शुल्क 20-00 बीस रुपये निर्धारित किया गया था

25.4.92

प्रस्ताव	निर्णय
8. जिसे नागरिकों से प्रस्तावित शुल्क की वृद्धि पर निर्धारित अवधि में आपत्ति एवं सुझाव मांगे गये थे, जो नागरिकों द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की दशा में बोर्ड की बैठक दिनांक 8.1.90 के प्रस्ताव सं० 12 के अन्तर्गत पुनः विशेष संकल्प के रूप में स्वीकृतार्थ रखा गया था और सदन में कुछ सभासदों द्वारा प्रस्तावित शुल्क 20/- को अधिक बताया गया, जो सर्वसम्मति से 10/- दस रुपये कर दिया गया था। उक्त पंजीयन शुल्क को सिटी-बोर्ड ओबरा में लागू करने की कार्यवाही हेतु, आयुक्त, वाराणसी मंडल, वाराणसी, की सेवा में अनुमोदन के लिये भेजे जाने पर आयुक्त, वाराणसी मंडल, वाराणसी, के पत्र सं० 1732/23-339 (88-91) प्र० ज०-3 दिनांक 10-3-1992 में यह आपत्ति उठायी गयी है कि दैनिक समाचार पत्र 'जनमित्र' में दिनांक 29.9.89 के संस्करण में जब पंजीयन शुल्क 20/- निर्धारित करके नागरिक आपत्ति	कर निर्धारण सूची में नामांकन हेतु पंजीयन शुल्क 20/- बीस रुपये निर्धारित किया जाता है। कार्यान्वयन की कार्यवाही की जाय।

निर्णय -

...नाव। —
... एवं सुझाव मांगे गये
और उस पर निर्धारित अवधि
1 मार्च तक किसी प्रकार की
आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त
नहीं हुआ तो पंजीयन शुल्क
20/- से घटाकर 10/- करने
का औचित्य नहीं है, से
सम्बन्धित पत्रांक परिषद
के समक्ष पंजीयन शुल्क
20/- अनुमोदित करने सम्बन्धी
प्रस्ताव विशेष संकल्प के
रूप में स्वीकृतार्थ प्रस्तुत.

6. पत्रांक बावत नगर - विद्यालय के भवनों की मरम्मत
पालिका इन्टर कालेज, राजा एवं रंगाई कार्य के बकाये भुगतान
बाजार जौनपुर में कमरों की रु0 17438/- पालिका निधि से
मरम्मत एवं रंगाई हेतु प्राप्त भुगतान किये जाने सम्बन्धी
निविदा के अनुसार सुझाव- प्रस्ताव पर माननीय सभासद
कुमार- सतीश कुमार एडवोकेट डा0 श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, ने
जौनपुर के न्यूनतम कोटेशन आपत्ति उठाते हुये कहा कि
रु0 29,632.70 में से नगर यह प्रस्ताव, विद्यालय में रंगाई
पालिका इन्टर कालेज के व मरम्मत कराने के पूर्व बोर्ड
विकास निधि से रु0 11926.41 में नहीं रखा गया था यानी
भुगतान करने के पश्चात - बोर्ड से इस कार्य की स्वीकृति
रु0 17706.29 में से कराये नहीं ली गयी थी, तो पालिका
गये कार्य के अनुसार 17,438/- निधि से इसके भुगतान का
का भुगतान पालिका निधि से औचित्य नहीं है, अध्यक्ष
किये जाने हेतु परिषद महोदय ने कहा कि विद्यालय भवन
स्वीकृतार्थ। पालिका का ही है, इसलिए पालिका
निधि से ही इसकी मरम्मत व
रंगाई का भुगतान औचित्यपूर्ण है

25-5-92

	प्रस्ताव	निर्णय
6.		विकास निधि विद्यालय की ही निधि है, जिससे विद्यालय के मरम्मत का भुगतान किया जा सकता है, डा० कृष्णकुमार श्रीवास्तव मान्य सभासद ने यह आपत्ति किया कि इस प्रकार की स्वीकृति पूर्व में बोर्ड द्वारा नहीं ली गयी है, यानी बोर्ड की सहमति के बिना ही उक्त मरम्मत का कार्य कराया गया है, इसलिये मेरा यह सुझाव है कि विद्यालय के विकास निधि के आय-व्यय का विवरण बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जाय और तब बोर्ड की सहमति के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जाय, जिस पर सदन की सहमति पायी गयी। प्रधानाचार्य, नगर पालिका इन्टर कालेज राजाबाजार जौनपुर से विकास निधि सम्बन्धी आय-व्यय विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया जाय।
7.	सिटी बोर्ड, जौनपुर द्वारा निर्धारित टैक्सी बस स्टैन्ड की वर्ष 1992-93 के लिये नीलामी जो करायी गयी है, की उच्चतम बोली जो आयी है, निम्नवत परिषद के	वर्ष 1992-93 के लिये टैक्सी बस स्टैन्ड पड़ाव की हुयी नीलामी के सम्बन्ध में डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि जब यह ठेके की नीलामी होती

निर्णय

प्रस्ताव

समस्त अवलोकन व अनुमोदन हेतु,

1. आजमगढ़ रोड टैक्सी बस स्टैण्ड		₹ 65,500=00
2. वाराणसी रोड टैक्सी व बस स्टैंड		12,500=00
3 इलाहाबाद	" "	33,000-00
4 बदलापुर	" "	810,000=00
5 मिर्जापुर	" "	60,500=00
6 ठेका नीलामी - मछली बाजार		76,000=00

7. शाहगंज व मछहती रोड प्याव की तहबाजारी उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नीलामी नहीं करायी जा सकी है जिसकी विभागीय वसूली करायी जा रही है।

है तो क्या इसकी सूचना बोर्ड को नीलामी के पूर्व दी गयी है? या किसी सदस्य या सदस्यों को कोई लिखित सूचना अध्यक्ष द्वारा भेजी गयी है? इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नीलामी की सूचना जैसे पूर्व में समाचार पत्रों में दी जाती रही है, उसी प्रकार नीलामी के व्यापक प्रचार प्रसार के कार्यवाही क्रम में समाचार पत्र माननीय में प्रकाशित कराया गया था इस पर डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव मान्य सभासद ने कहा कि जब आप अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा अन्य सूचनाओं की भाँति इस नीलामी की सूचना हम सभासदों को नहीं दी गयी तो हम लोग कैसे क्या जाने कि कब किस टैक्सी स्टैण्ड की नीलामी की गयी इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भविष्य में अगले वर्ष की नीलामी की कार्यवाई के समय इसका ध्यान रखना जायेगा और नीलामी के पूर्व सूचना दी जाया करेगी। तब डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि नीलामी से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत की जाय।

25-4.92

7. प्रस्ताव — निर्णय :-

चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री बाबूलाल गुप्त, मान्य सभासद ने कहा कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार लाउडस्पीकर से कराया जाना चाहिये कि कार पार्किंग ठेका की वसूली किन किन दरों में किन किन वाहनों पर की जायेगी, ताकि जनता को इसकी पूरी जानकारी हो सके चर्चाकाल में ही डा० श्री कृष्ण-कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि इलाहाबाद रोड के ठेके की उच्चतम बोली 2.75 (दो लाख पचहत्तर हजार) आयी थी तो द्वितीय बोलीदाता की 33,000-00 तेंतीस हजार ही क्यों रही ? आगे डा० श्री सुशील श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने पूछा कि प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय के किस किस बोलीदाता की कितनी कितनी की बोली आयी थी, बताया जाय। आगे श्री राम अवधप्रसाद, मान्य सभासद ने कहा कि मान लिया जाय कि प्रथम बोली-बोलने वाला 2.00 लाख उच्च बोली बोल दे और दूसरा बोली वाला 20 हजार बोली लगा दे तो क्या प्रथम बोली वाले

स्ताव

निर्णय

के मांगने पर तो क्या प्रथम के स्थान पर द्वितीय बोली वाले को 20 हजार में ठेका दिया जा सकता है, इस पर अध्यक्ष की अनुमति से राजस्व प्रभारी श्री श्रीवास्तव ने कहा कि हां पूर्व से बनाये गये अनुबन्ध जो आज भी लागू है जिसे उन्होंने सदन में दिखाया भी, और कहा कि दफा-3 के अनुसार यदि प्रथम बोलीदाता उच्च बोली पर ठेका लेने से भागता है तो उसकी जमानती धनराशि जप्त करके द्वितीय बोली दाता की बोली पर उसे ठेका दिया जा सकता है, जो अनुबन्ध व शर्तों के अनुसार ही किया जाता है। इसी शर्त की दफा-8 में ठेके को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष में निहित है।

इसी चर्चाकाल के दौरान डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, माननीय सभासद ने कहा कि यदि नीलामी होने की सूचना हम सभासदों को पूर्व में दी गयी होती तो हम सभासदगण भी अपनी राय देते या आपसे भी विचार विमर्श करते उसका एक समाधान यानी निदान किया जाता र सकता

25-4-92

प्रस्ताव	निर्णय
7	नीलामी की स्वीकृति बिना सभासदों के सहमति से की गयी है, इस लिए हम निम्न सभासद इस नीलामी की कार्यवाही के प्रति आपत्ति करते हैं जिसमें 1. डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव 2. श्री राम अध्यापक 3. श्री शिवकुमार गुप्त 4. श्री गणेश नारायण लाल 5. श्री मिर्जा ज्यारत हुसैन, 6. श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव, 7. श्री कैलाश नाथ मौर्य 8. श्री बाबूलाल गुप्त 9. श्री रमजान खाँ मान्य सभासदों ने अपनी अपनी असहमति व्यक्त किया।
	आगे श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, मान्य सभासद ने कहा कि अगर यह निश्चित हो कि टैक्सी बस स्टैन्ड की बोली पुनः कराने में बोली 33,000/- तैंतीस हजार से अधिक आ सकती है तो मेरी भी आपत्ति है और यदि बोली कम आने की सम्भावना हो तो मेरी आपत्ति नहीं है इसी बीच हाजी मो० सलीम सभासद यह कहकर चले गये कि उनके पेट में दर्द है।
	चर्चा को आगे बढ़ाते हुये डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव मान्य सभासद ने कहा कि जो लोग प्याव के ठीके की वकालत

Scanned with OKEN Scanner

25-4.92

प्रस्ताव :-

निर्णय :-

करते हैं, वे दुल्हन लेकर जाने वाले वाहन, गाड़ी लेकर जाने वाले को तंग करके उनसे अनाधिकृत रूप से पैसे की वसूली करते हैं, जो उचित नहीं है, इस पर कड़ा प्रतिबन्ध लगना आवश्यक है। आगे डा० सुनील श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि कोई अपने पैसे से यानी अपने खर्चे से प्रत्येक पड़ाव पर रेट बोर्ड लगवा दे जिसका समर्थन श्री बाबूलाल गुप्त मान्य सभासद ने भी किया, कुछ सभासदों ने कहा कि भले ही कोई प्रत्येक पड़ाव पर रेट बोर्ड लगवा दे लेकिन कोई भी ठेकेदार उसे उस पड़ाव पर रहने नहीं देगा, यानी उसे उखाड़कर फेंकवा देगा, तो इससे कोई लाभ नहीं, इस पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री श्रीवास्तव, राजस्व प्रभारी ने बताया कि ठेकेदार को वसूली सम्बन्धी अधिकार पत्र दिये जाने के समय ही उन्हें अधिकार पत्र द्वारा ही आदेशित कर दिया जाता है कि वे अपने खर्चे से रेट बोर्ड लगवायेंगे, यदि वे रेट बोर्ड नहीं लगाये हैं तो उस पर विशेष निगरानी रखना जायेगा।

	प्रस्ताव	निर्णय
7.		आगे की [illegible] मान्य सभासद ने कहा कि जनता के हितों को देखते हुए क्यों न ऐसे ठेके को समाप्त कर दिया जाय। इस पर श्री राम कृपाल यादव, डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, श्री बाबूलाल गुप्त आदि सभासदों ने कहा कि प्रतिवर्ष इस ठेके की नीलामी पारित की जाती है क्योंकि निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्यवाही ठेके की, की गयी है, यद्यपि इसके कुछ सभासदों ने आपत्ति भी किया है फिर भी पत्रावली नीलामी को राजस्व प्रभारी द्वारा सदन में प्रस्तुत करने एवं सभासदों को आश्वस्त कर दिये जाने पर ठेके की कार्यवाही से सन्तुष्ट होकर इस प्रस्ताव को आम सहमति से सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।
8.	पत्रादि बावत प्रकाश विभाग की आख्या दिनांक 10-3-92 कि नगर मे विद्युतीकरण सम्बन्धी व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु प्रकाश विभाग	सर्वसम्मति से स्वीकार। पद स्वीकृति हेतु शासन को लिखा जाय।

निर्णय:

प्रस्ताव

में इंजीनियर का पद सृजन द्वारा
निर्धारित वेतनमान के अन्तर्गत
पद सृजन का प्रस्ताव परिषद
अनुमोदन हेतु।

नगर में विभिन्न मार्गों की नगर में विभिन्न मार्गों की तहबाजारी
2. तहबाजारी की वसूली के लिये वसूली हेतु पूर्व से तैनात 4 दैनिक
पूर्व से तैनात 4 दैनिक मजदूरी मजदूरी पर रखने गये व्यक्तियों
पर रखे गये तहबाजारी को आगामी माहों के लिए रखने
मोहर्रिर की सेवायें 1-3-92 जाने के सम्बन्ध में मिर्जा नियामत
से आगे की अवधियों के हुसैन, मान्य सभासद ने कहा
लिये बढ़ाये जाने के सम्बन्ध कि क्या निर्धारित मानक के
में इस शर्त के साथ विचार अनुसार प्रत्येक मोहर्रिर प्रति-
कि शासनादेश के अनुसार दिन 100/- तहबाजारी वसूलकर
समस्त दैनिक मजदूरी के पालिका कोष में जमा करते हैं,
कर्मचारी, तत्काल हटा दिये यदि हाँ तो सभी की वसूली
जायें, जिस पर अधिशासी- जनवरी 92 से अब तक की विवरणी
अधिकारी की रिपोर्ट के आधार जाय, ~~[illegible]~~ आगे डा० कृष्णकुमार
पर पुनः दैनिक मजदूरी पर - श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने भी
कर्मचारी सर्वश्री विजय रावत, उपरोक्त से सहमति व्यक्त करते
राम आसरे, ~~[illegible]~~ अमानत- हुए वसूली की मांग किया,
हुसैन, ओमप्रकाश को इस पर राजस्व प्रभारी श्री [illegible]
तहबाजारी की वसूली में ने कहा कि केवल श्री विजयरावत
100/- प्रतिदिन वसूली कर मोहर्रिर 100/- प्रतिदिन वसूली करके
पालिका कोष में जमा करते रहते हैं। शेष तीन तहबाजारी मोहर्रिर
के प्रतिबंध के साथ स्वीकार की वसूली निर्धारित मानक 100/-
गयी थी, जिसमें श्री विजय से कम है, इसी पर विचार
रावत, के अतिरिक्त अन्य तीन किया जाना है, इस पर श्री
दैनिक मजदूरी पर रखे गये राम अवतार यादव, मान्य सभासद
तहबाजारी मोहर्रिर निर्धारित ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है
मानक के अनुसार वसूली कि प्रत्येक सेन्टर से 100/-, 100/-

25.1.92

प्रस्ताव।

नहीं कर पा रहे हैं, को ध्यान में रखते हुये, परिषद के समक्ष विचारार्थ।

निर्णय।

श्री प्रति दिन की वसूली आ ही जाय क्योंकि कुछ क्षेत्र (वार्ड) इन्टीरियर में हैं और कुछ मेन मार्केट में हैं, जिससे अपेक्षाकृत वसूली प्रभावित होना स्वाभाविक है। आगे श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, मान्य सभासद ने कहा कि यदि ऐसा है तो हर 15 दिन पर इनके वार्ड (क्षेत्र) बदल दिये जाँय, और इन्हें हटाया न जाय। वसूली का ब्यौरा रखते हुये राजस्व प्रभारी ने सदन को बताया कि वर्ष 1990-91 की अपेक्षा वर्ष 1991-92 में श्री विजयरावत एवं श्री अमानत हुसैन, मोहर्रिर की वसूली अपेक्षाकृत अधिक रही है तथा श्री ओमप्रकाश व श्री रामआसरे की वसूली कम रही है। इस पर श्री बाबूलाल, मान्य सभासद ने कहा कि हर महीने इन कर्मचारियों का रोटेशन से स्थानान्तरण किया जाय और यदि वसूली फिर भी गिरती है तो इन्हें हटाया जायेगा। आगे डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि क्या तहबाजारी मोहर्रिर यहाँ उपस्थित हैं और यदि उपस्थित हैं तो उन्हें

प्रस्ताव-

निर्णय-

सदन में बुलाया जाय, इस पर अध्यक्ष की अनुमति से वे सदन में बुलाये गये, तो उनसे वसूली के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी, तो उनलोगों ने वसूली करने सम्बन्धी अपनी दिक्कतों के सम्बन्ध में सदन को बताया, इस पर डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि आपलोग तहबाजारी वसूली का कार्य परिश्रम एवं लगन से नहीं करते, जिसके कारण ही वसूली में गिरावट आयी है, इसलिये आपलोगों को बोर्ड की ओर से सचेत किया जाता है कि आपलोग प्रतिदिन अधिक से अधिक तहबाजारी वसूली करके बोर्ड में जमा करें, तभी आपलोगों को वेतन दिया जाना सम्भव हो पायेगा, यदि वसूली में सुधार नहीं लाया गया तो आपलोगों को हटा दिया जायेगा, हमलोगों का यह मकसद नहीं है कि आपलोग हटा दिये जांय, ~~क्योंकि~~ नौकरी बड़ी ही मुश्किल से मिल पाती है, इसलिए सदन की ओर से आपलोगों को यह आदेश दिया जाता है कि आपलोग अधिक से अधिक तहबाजारी वसूल करके पालिका कोष में जमा करें और बोर्ड को

25-5-92

	प्रस्ताव :-	निर्णय :-
9.		शिकायत को मौका ने दे। इस पर उपस्थित सहयोगी मो हारी ने सदन को विश्वास दिलाया कि इनलोग कड़ी मेहनत करके वसूली करेंगे। डा० कृष्णकुमार श्रीवास्तव मान्य समाहर्ता ने यह भी कहा कि मेरा प्रस्ताव है कि प्रत्येक माह में इनलोगों का रोटेशन से स्थानान्तरण किया जाय, जिस पर सदस्य की सहमति पायी गयी और अन्त में इनका सेवाकाल दैनिक मजदूरी 30/- पर 1-3-92 से 30-5-92 तक के लिए स्वीकारी गयी।
10.	पालिका प्रकाश विभाग में नगर क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था के समुचित संचालन के लिये कार्यरत 3 दैनिक मजदूरी 30/- पर मिस्त्री की सेवायें 1-3-92 से 30-5-92 तक बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर्षद स्वीकृति हेतु।	सर्व सम्मति से स्वीकार।
11	पालिका जलकल विभाग में पेयजलापूर्ति व्यवस्था-क्रम में 33 पम्प अटेन्डेन्ट की सेवायें 30/- तीस रुपये दैनिक मजदूरी पर मार्च 92 मात्र एक माह के लिये	सर्व सम्मति से स्वीकार।

निर्णय

प्रस्ताव
शासनादेश सं० 1076/
तथा शासनादेश सं० 1076/
9-1-92-95 सा/91 दिनांक
3.2.92 के अन्तर्गत विनियमित
किये गये 20 पम्प अटेंडेन्ट
की सेवाओं के पश्चात शेष
13 पम्प अटेन्डेन्ट को रु 30/-
दैनिक मजदूरी पर 1-3-92
से 30-4-92 तक रखने
सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद
स्वीकृति हेतु। सर्वसम्मति से स्वीकार।

12. पालिका जलकल विभाग
में पाइप लाइनों के रख-
रखाव कार्य की अधिकता
को देखते हुये पूर्व से कार्यरत
जिन 11 दैनिक मजदूरी के
बेलदारों को रखकर कार्य
लिया जा रहा था, में से -
शासनादेश सं० 1076/9-1-
92-95 सा०/91 दिनांक
3-2-1992 के अन्तर्गत
11-10-89 को तीन वर्ष की
सेवा सम्बन्धी शर्त पूर्ण
करने वाले 5 कर्मचारियों का
नियमितीकरण किया गया है,
के परिप्रेक्ष्य में 11 बेलदारों
की सेवायें 25/- दैनिक मजदूरी
पर मार्च 92 के लिये तथा
5 कर्मचारियों को शासनादेश
दिनांक 3-2-92 के अन्तर्गत
नियमित हो जाने के फलस्वरूप
शेष 6 बेलदारों के दैनिक मजदूरी

25.5.92

क्रम	प्रस्ताव	निर्णय :-
12.	पद रखने की स्वीकृति, 25/- दैनिक मजदूरी पर 1.3.92 से 30-5-92 तक के लिये दिये जाने का प्रस्ताव परिषद स्वीकृति हेतु।	
13.	प्रमोद वावत नगर में बढ़ती हुयी जनसंख्या की बढ़ोत्तरी के कारण सम्पूर्ण नगर की समुचित सफाई पुराने स्टाफ से पूरा न हो सकने तथा लगाये गये दैनिक वेतन स्वच्छकार कर्मियों की सेवा समाप्त होने के कारण, सफाई कार्य प्रभावित हो रहा है, को ध्यान में रखते हुये सफाई निर्माण हेतु/ दैनिक मजदूरी पर स्वच्छकार के नियोजन का प्रकरण परिषद विचारार्थ।	प्रस्ताव पर श्री राम भैया यादव, मान्य सभासद व श्री शिवकुमार गुप्त, मान्य सभासद ने कहा कि इस गर्मी के समय में तथा बढ़ती हुयी जनसंख्या को देखते हुये सम्पूर्ण नगर की समुचित सफाई हेतु पूर्व में लगाये गये दैनिक सफाई मजदूर, जिन्हें हटा दिया गया था, उन्हें पुनः लगा दिया जाय. इस पर श्री [illegible] मान्य सभासद ने कहा कि प्रत्येक सभासद के वार्ड में कौन कौन से सफाई हवलदार कार्यरत है और उन सफाई हवलदारों के संरक्षण में कितने कितने स्वच्छकार कार्यरत है और वे कहा कहां कार्यरत है? की सूची प्रत्येक सभासद को दी जाय तथा सफाई हवलदारों का भी सेक्शन से प्रत्येक माह में स्थानान्तरण किया जाय, इस पर अध्यक्ष महोदय ने सफाई हवलदारों का सेक्शन से स्थानान्तरण

प्रस्ताव:

निर्णय

करने सम्बन्धी योजना तैयार करने को निर्देश अधिशासी अधिकारी तथा सफाई निरीक्षकों को दिया, और तदनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया, इस पर श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, मान्य सभासद ने कहा कि उनके वार्ड में कोई सफाई हवलदार कार्यरत नहीं है, वहाँ सफाई हवलदार की तैनाती की जाय, इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा तत्काल व्यवस्था को किये जाने के लिए आश्वासन दिया गया।

डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि यह बात उनकी जानकारी में है कि उर्दू वार्ड में कुछ लोग दैनिक मजदूरी पर सफाई का कार्य कर रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा कि इसके पूर्व उन्होंने 3 व्यक्तियों को नाम स्वच्छकार पद पर दैनिक मजदूरी पर रखने हेतु संस्तुति किया था, उस पर क्या कार्यवाही की गयी? बताया जाय। इस पर अधिशासी अधिकारी ने बताया कि वह पत्रक मुझे मिला है, उस पर समुचित कार्यवाही अवश्य की जायेगी, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सूची के अनुसार जो कर्मचारी ज्येष्ठ होगा, उनका समायोजन 8 स्वीकृत पदों में किया जायेगा।

25-5-92

प्रस्ताव :	निर्णय :
14 प्रभारी बाबत झुग्गी झोपड़ी व नेहरू रोजगार योजना, आई०डी०एस०एम०टी०, सम्बन्धी अतिरिक्त टंकण कार्य को समय पूरा करने हेतु 20-8-91 से कार्यरत दैनिक वेतन टाइपिस्ट श्री इरशाद हुसैन उर्फ पप्पू की सेवायें, दैनिक मजदूरी पर, जो 28-3-92 तक के लिये अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार पारित की गयी है, साथ ही आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में उन्हें सेवा से पृथक कर दिया गया, सम्बन्धी प्रकरण सूचनार्थ एवं मार्च 92 का वेतन दिये जाने का प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु	प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये सदन में उपस्थित मान्य सभासद श्री रामअधार यादव, द्वारा यह बात उठाई गयी कि पालिका में कार्यरत अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भाँति श्री इरशाद हुसैन उर्फ पप्पू जो परिश्रम एवं लगन से कार्य करते हैं, को 30/- दैनिक मजदूरी पर आगे की अवधियों के लिए नियोजित कर दिया जाय जिनकी स्वीकृति अन्य कर्मचारियों की भाँति मार्च 92 के साथ 30-5-92 तक की अवधियों के लिये सर्व-सम्मति से सदन में स्वीकार की गयी।

चर्चा काल :

डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभापति ने कहा कि अब चर्चा का विषय होगा। चर्चा के दौरान श्री अनसरजा, उर्फ भइया जी, मान्य सभासद ने कहा कि जौनपुर नगर में पेयजल समस्या के निदान हेतु मैंने अध्यक्ष के माध्यम से जलकल अभियन्ता को लिखा था, लेकिन आजतक कोई सुधार नहीं हुआ आगे उन्होंने कहा कि जलकल अभियन्ता कृपया बतायें कि एक नलकूप लगवाने में अनुमानित व्यय क्या होगा। इस पर जलकल अभियन्ता ने बताया कि एक नलकूप लगवाने में लगभग 8.00 आठ लाख व्यय होता है तथा

सायंकाल

श्री अनसारजा, उर्फ मइय्याजी, ने कहा कि जहाँ एक नलकूप लगाने में 8.00 आठ लाख व्यय होता है और यह काम नहीं करता, जिससे बोर्ड की छवि धूमिल हो रही है इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जलकल अभियन्ता स्वयं नलकूप को देखें और उसमें कमी हो तो उसे बतावें, आगे श्री मइय्या जी ने कहा कि जौनपुर जैसे शहर में पानी की काफी किल्लत है, जबकि इसके लिये शासन अनुदान दे रही है, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों बनी है, इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मइय्या जी जितना नलकूप जौनपुर नगर में बना है, उतना उत्तर-प्रदेश की किसी नगर-पालिका में नहीं लगा है। मान्य सभासद मइय्या जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुये जलकल अभियन्ता ने कहा कि नलकूप बनाने एवं उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी जलनिगम की है इसलिये सम्पूर्ण दायित्व जलनिगम का है, इस पर मइय्या जी मान्य सभासद ने कहा कि बोर्ड की ओर से जलनिगम के अधिशासी-अभियन्ता के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव रखता हूँ तब डा० कृष्णा कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ, इस पर अन्य सभासदों ने कहा कि इस प्रकार से किसी के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव लाया जाना उचित नहीं है, इसमें संशोधन होना चाहिये, आगे डा० कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि आज मैं माननीय मंत्री जी (श्री उमानाथसिंह जी) के यहाँ प्रातः गया था और वहाँ पर अधिशासी अभियन्ता (जलनिगम) आये थे, उन्होंने कहा कि सभी नलकूप चल रहे हैं और बराबर 12 घन्टे चलते हैं, मैंने उनसे कहा कि सिपाह में नलकूप लग जाने से मखदूमशाह, मानिक चौक स्थित उनके मकान में जो पानी आता था, उसमें थोड़ी सी प्रेशर में बढ़ोत्तरी हुयी है लेकिन जहाँ पानी नहीं आता था, वहाँ आज भी पानी बिलकुल नहीं आ रहा है इससे नलकूप लगने का कोई लाभ जनता को नहीं है, आगे उन्होंने पूछा कि जो अनुदान 30,000/- तीस हजार रुपये का सिटी बोर्ड को मिला था, उसका उपयोग हुआ कि नहीं

Scanned with OKEN Scanner

25-5-92

[illegible]

यदि मार्च 92 के अन्दर उक्त अनुदान का उपयोग नहीं है तो कारण बताया जाय? इस पर अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नवम्बर दिसम्बर 91 में जिलाधिकारी द्वारा 2.15 (दो लाख पन्द्रह हजार रुपये) का अनुदान जलकल मद में बोर्ड को मिला था, उसके सम्बन्ध में जलकल अभियन्ता ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से क्रय किए गये सामानों का विवरण बताया जिनमें प्राप्त रकमों का भुगतान भी हुआ है, उक्त अनुदान की धनराशि में से 63,000/- शेष है, जिसका माल बिल न मिलने के कारण, भुगतान नहीं हुआ है, यानी प्राप्त अनुदान का उपयोग किया जा चुका है, इस पर डा० कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने पूछा कि जलकल मद में प्राप्त उपरोक्त अनुदान के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में क्या लाइन के विस्तारण (Extension) का काम हुआ है या अन्य काम, उसका पूरा विवरण दिया जाय। इस पर जलकल अभियन्ता ने कहा कि अभी उसका पूरा विवरण नहीं दिया जा सकता, बाद में दे दिया जायेगा, उन्होंने यह भी कहा कि मोटर वाइन्डिंग में कुछ पैसे व्यय हुये हैं, कुछ धन जलनिगम को पाइप लाइन क्रय करने के लिये दिया गया है, तब डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि सार्वजनिक हित में आपने कुछ काम किया है स्टैन्ड पोस्ट लगवाया, या उसकी मरम्मत करवाया या पाइप लाइनों के विस्तार का कार्य किया गया है अथवा जो स्टैन्ड पोस्ट मरम्मत काबिल थे, उसकी मरम्मत कराया है, इस पर जलकल अभियन्ता ने कहा कि 20,000/- बीस हजार रुपये में जल निगम से सामान लाना था, वह अभी तक नहीं आया है, इस पर डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि क्या यह आवश्यक है कि जलनिगम से ही सामान क्रय किये जांय? आगे श्री अनवर रजा, उर्फ भइया जी, मान्य सभासद ने कहा कि

चर्चाकाल :-

जलकल की स्थिति यह है कि जब सामान लाने की बात हुई तो सामान लाया गया नहीं, और अब ठेकेदार स्पष्ट की जा रही है कि जलनिगम का सामान मैं ठगा भी पड़ता है, ऐसी दशा में इसका ~~दायित्व~~ दायित्व किस पर है? इस पर अधिशासी-अधिकारी ने कहा कि मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा था कि क्या कोई जरूरी है कि हर काम को जलनिगम से सत्यापित करावें, इस पर जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आप ही इन्जीनियर की हैसियत से प्रमाणित कर सकते हैं। डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि मैं इस व्यवस्था का घोर विरोध करता हूँ जो अनुदान सिटी-बोर्ड को शासन से मिलता है, उसका उपयोग नगर-पालिका के अधिकारी करेंगे या कि जलनिगम करेगा। इसरार अहमद जी ने कहा कि मैं जलनिगम के अधिशासी-अभियन्ता के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पास करता हूँ।

आगे डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि जो 63,000/- तिरसठ हजार रुपया अनुदानावशेष है, उक्त धन से क्या मेरे द्वारा दिया गया पाइपलाइन विस्तारण का कार्य कराया गया, बताया जाय, इस पर अधिशासी-अधिकारी ने कहा कि उक्त अवशेष धनराशि से अन्य कोई कार्य नहीं हो सकता, तब डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने पूछा कि मेरा काम कैसे हो सकता है, जिस पर अधिशासी-अधिकारी ने कहा कि बोर्ड फण्ड से ही हो सकता है, तब डा० कृष्णकुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ठीक है, बोर्ड फण्ड से उक्त कार्य कराया जाय।

चर्चाकाल के दौरान नगर में लगे हैण्ड पम्पों की स्थिति मान्य सभासदों द्वारा चाही गयी, जिस पर जलकल अभियन्ता ने बताया कि वर्तमान समय में 46 हैण्ड पम्प खराब हैं, शेष ठीक हैं, इस पर श्री अनसार उल्ला अहमद जी ने कहा कि मैं एक दृष्टान्त पेश करता हूँ कि श्री कैलाशनाथ मौर्य, मान्य सभासद के मुहल्ले में एक हैण्ड पम्प बहुत

25-4-82

नगरपालिका

पुराना है, उसमें थोड़ा सा काम है, ऐसी दशा में जलकल अभियन्ता अथवा उनके सहायक जाकर उसे देख लें, जिसमें अनुमानत: 4-5 सौ (चार-पांच-सौ) रुपये का काम है, उसकी मरम्मत करा दी जाय ताकि जनता के उपयोग में लाया जा सके, नगर में खराब हैण्ड पम्पों की सूची मुझे दी जाय

आगे श्री भइयाजी ने कहा कि उपनलकूप जो अभी हाल ही लगवाये गये हैं, फिर भी उनमें से बालागंज टोला वार्ड में पानी नहीं मिल पा रहा है, इस पर डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बालागंज टोला में नलकूप के लिये जहाँ तक मुझे जानकारी है धन आवंटित हो चुका है, परन्तु धन अभी तक आया नहीं है, अध्यक्ष महोदय ने इससे सहमति व्यक्त करते हुये कहा कि उक्त नलकूप के धन प्राप्त करने हेतु अधिशासी-अधिकारी को लगातार भेज रहा हूँ, जो शीघ्र ही धन को प्राप्त करके, क्या कार्यवाही से मुझे बतावें।

चर्चा काफी शोर शराबे के साथ होती रही कि भइया जी, माननीय सभासद ने जलकल अभियन्ता (श्री बलराम सिंह) को अपमान जनक शब्दों का प्रयोग करते हुये कहा कि जलकल अभियन्ता, यदि हमारे वार्ड में पानी की समुचित व्यवस्था नहीं करेंगे तो वहाँ की जनता वो रखवायेगी, और आपका घेराव करेगी, तथा आपको वहाँ से उठा लायेगी और अपनी पेयजल समस्या को आपको दिखायेगी, तब इसका भयंकर परिणाम होगा, श्री अभियन्ता, उक्त भइया जी के इस प्रकार अपमानजनक बात को सुनकर श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह व श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह सहित कई सभासद उठ खड़े हुये और भइया जी द्वारा कहे गये उपरोक्त अपमानजनक बातों का कड़ा विरोध किये और कहा कि भइया जी आप अपने द्वारा कहे गये अपमानजनक शब्दों को वापस लें, अन्यथा स्थिति खराब होगी, इस बात को लेकर 10 मिनट तक सदन में काफी कोलाहल मचा रहा और भइया जी तब चुप हो गये।

शासनादेश सं० 2575 ब/ 9-1-81-503 (सा०स०अनु०) 141 दिनांक 12.11.1981 के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान रु० 13,60,000/- से कराये जाने वाले कार्यों के व्यय अनुमान।

स्वीकृत पत्र सं० 26 दिनांक 25-4-82

क्र०	कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि
	मो० सिपाह में श्री विजय पंडित के मकान से [illegible] अन्सार [illegible] तक सोलिंग, नाली निमार्ण। मजार	58,002=03
	मो० हालनपुर में श्री राजेन्द्र के मकान से राजा साहब के फाटक जाने वाली सड़क पर निमार्ण।	30,365=00
	मो० मच्छरहट्टा में श्री अशोक कपूर के मकान से पीरामाता मन्दिर तक फर्श एवं नाली निमार्ण।	26,096=00
	मो० रासमण्डल में मानिक चौक से हनुमान मन्दिर तक सड़क मरम्मत का कार्य।	81,181=04
	मो० रिजवी खाँ में श्री निहाल भवन के सामने से श्री शेख स०ह० के मकान तक सड़क निमार्ण।	34,675=00
	मो० रिजवी खाँ में मो० हामिद हसन के मकान से फर्श, नाली निमार्ण।	25,363=57
	मो० मण्डी नसीब खाँ में श्री इस्माइल के मकान से श्री शुक्ल मास्टर के मकान तक फर्श नाली निमार्ण।	30,319=21
	मो० मण्डी नसीब खाँ में हाजी अब्दुल सलाम के मकान से श्री अब्दुल अजीज के मकान तक सोलिंग नाली निमार्ण।	21,973=00
	मो० रसूलाबाद में श्री किशन के मकान से चुंगी तक नाली एवं क्रासिंग निमार्ण।	59,111=00
10-	मो० उर्दू में [illegible] श्री जगदीश के मकान से होते हुए उर्दू रोड तक फर्श नाली निमार्ण।	22,665=00
11-	मो० उर्दू में श्री केश के मकान से मोहन टाकीज तक सोलिंग नाली का निमार्ण।	29,834=00
12-	मो० आलमगंज में श्री बीरेन्द्र सिंह के मकान से मल्हनी रोड तक सोलिंग नाली निमार्ण।	17,614=35
13-	मो० ख्वाजगीटोला में हरिजन बस्ती से सड़क तक फर्श नाली नि०	36,263=74
14-	मो० अर्जन में श्री मो० सिद्दीक के मकान से मल्हनी रोड तक सोलिंग नाली निमार्ण।	67,496=44
15-	मो० सुखीपुर में शाहगंज रोड से श्री जयराम के मकान से हल्लनपुर [illegible] के मकान तक नाली निमार्ण।	26,016=91
16-	मो० सुखीपुर में श्री पन्नालाल मौर्य के मकान से श्री शंकर मार्य के मकान तक नाली निमार्ण।	17,222=00
17-	मो० सम्मोपुर में श्री रामकिशन के मकान से हरिजन बस्ती तक नाली निमार्ण।	47,884=70
18-	मो० पितरसारी में श्री दयाराम के सामने क्रासिंग निमार्ण।	4,394=70
19-	मो० वाजिदपुर में पक्की सड़क से श्री मिठाईलाल के मकान के आगे तक सड़क एवं नाली निमार्ण।	51,127=00
20-	मो० मियाँपुर में श्री जयप्रकाश सिंह के मकान से मियाँपुर पक्की सड़क तक सोलिंग नाली निमार्ण।	59,736=00
21-	मो० छत्तार में श्री असकरी हैदर के मकान से श्री नूरमोहम्मद के मकान तक सोलिंग नाली निमार्ण।	64,661=25
22-	मो० ताड़तला में श्री रिजवान के मकान से श्री रामआसरे के मकान तक तथा श्री नरायन केवट के मकान तक नाली निमार्ण।	7,973=00
23-	मो० शेख हामिद में श्री एनुद्दीन के मकान से श्री हाजी रमजान के मकान तक सोलिंग नाली निमार्ण।	35,248=00
	योग-	8,55,222=94

1 — 2

24-	मो० ताड़तला में श्री मुन्ना सेठ के मकान से श्री प्यारे खाँ के मकान तक नाली एवं क्रास नाली निमार्ण।	8,55.. 12,547-19
25-	मो० प्रेमराजपुर में श्री सेवक के मकान से श्री असगर अली के मकान तक सोलिंग नाली निमार्ण।	18,180=50
26-	मो० बाजारकुआ में श्री छोटेलाल मुख्तार के मकान से इस्लाम चौक रोड तक नाली निमार्ण।	17,604=00
27-	मो० डाॅलिमपुर में श्री रामचन्द्र के मकान से श्री विश्वनाथ के मकान से या श्री राम के मकान से पन्नालाल के मकान तक सोलिंग एवं नाली निमार्ण।	20,643=00
28-	मो० पानदरीबा में श्री रामरूप के मकान से पानदरीबा पक्की सड़क तक सोलिंग मरम्मत एवं नाली निमार्ण।	10,259=00
29-	मो० डाॅलिमपुर में श्री रघुराम के मकान श्री शंकर के मकान तक नाली निमार्ण।	13,122=00
30-	मो० डाॅलिमपुर में श्री रामपलट के मकान से श्री रमई के मकान तक सोलिंग मरम्मत एवं नाली निमार्ण।	22,900=00
31-	मो० प्रेमराजपुर में पक्की सड़क पर विभिन्न क्रास नाली नि०	9,540=00
32-	मो० मीरमस्त में श्री हाजी रसूल के मकान से श्री मेंहदी हसन के मकान तक फर्श एवं नाली निमार्ण।	33,500=00
33-	मो० मीरमस्त में श्री वाहिद के मकान के सामने फर्श की मरम्मत एवं नाली मरम्मत का कार्य।	12,275=00
34-	मो० मीरमस्त में श्री मिर्जा पुन्नू एडवोकेट के मकान से कल्लू इमामबाड़ा तक फर्श का निमार्ण।	30,868=00
35-	मो० ताड़ा बाजार रोड से छरका गाँव तक सोलिंग नाली नि०	29,295=00
36-	मो० कोतवाली कालोनी में मन्दिर के सामने से देवी प्रसाद के मकान तक सोलिंग नाली निमार्ण।	32,586=00
37-	मो० नईगंज में आबादी से नर्सरी स्कूल [इन्दिरा बाल विकास] तक सोलिंग निमार्ण।	19,496=20
38-	मो० हट्टा के पास उमरपुर प्राइमरी स्कूल से प्रिंसपल के मकान तक सोलिंग निमार्ण।	30,366=00
39-	मो० नईगंज में श्री दयाशंकर के मकान से श्री छब्बू यादव के मकान तक सोलिंग नाली निमार्ण।	27,700=80
40-	मो० नईगंज में श्री ब्रजमोहन के मकान से इलाहाबाद रोड तक सोलिंग नाली निमार्ण।	24,592=00
41-	पल्टरा में सुल्तानपुर रोड से बारादरी घाट तक सोलिंग नि०	20,803=00
42-	मो० जहाँगीराबाद में श्री सीताराम से श्री अवधेश के मकान तक सड़क का पुर्ननिमार्ण।	80,590=00
43-	रोडवेज बस स्टैण्ड के सामने नाली निमार्ण।	17,166=75
44-	मो० शेखपुरा में निषाद बस्ती से गोमती नदी की तरफ रास्ते में फर्श का निमार्ण।	10,984=00
45-	मो० शेखपुरा में श्री गोपाल यादव के मकान से मुख्य नाले तक नाली निमार्ण।	15,848=00
46-	मो० शेखपुरा में स्कार्ट ट्रैक्टर एजेन्सी के सामने सोलिंग नाली नि०	10,002=00
47-	मो० शेखपुरा में श्री दयाशंकर के मकान से पीछे रास्ते पर सोलिंग निमार्ण।	8,268=00
	योग -	13,84,359=19

[------3]

		13,84,359=19
मो० नवखास में मछलीशहर पड़ाव के पास से डा0मिश्र के दवाखाने तक नाली निमार्ण ।		25,100=00
मो0 [illegible] श्री नरेन्द्र प्रताप एडवोकेट के मकान से श्री सन्त बक्श सिंह के मकान तक सड़क नाली निमार्ण ।		27,067=00
	टोटल-	14,36,526=19

24/4/92 24/4/92

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, जौनपुर

[illegible]
सदी परिषद, [illegible]

[illegible]

[illegible]

पत्रावलोकन

डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने सदन में कहा कि एक प्रस्ताव 19 मान्य सभासदों के हस्ताक्षर से अध्यक्ष महोदय को दिया गया था, बोर्ड के एजेण्डा में नहीं लाया गया है; ऐसा क्यों? अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह प्रस्ताव वैधानिक नहीं है, हस्ताक्षरकर्ता सभासदों में से कुछ ने लिखित खुद कहा है कि उस पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। ऐसी दशा में ऐसे प्रस्तावों को एजेण्डा में सम्मिलित करने का औचित्य नहीं है। इतनी बात पर सदन में पुनः हंगामा मच गया जिस पर कुछ सभासदों ने सहमति और कुछ सभासदों ने असहमति व्यक्त किया।

15. जलकल समिति की बैठक दिनांक 5-12-91 के प्रस्ताव सं० 5 के अन्तर्गत पारित प्रस्ताव बाबत सूखा राहत योजना के तहत कराये गये कार्य परिषद सूचनार्थ।	पढ़ा गया।
16. शासनादेश सं० 2575 ए०/9-1-91-503 (सा० स० अनु०)/91 दिनांक 12.11.91 के अन्तर्गत नगर में सड़क सुधार हेतु प्राप्त अनुदान रु 13,60,000/- से कराये जाने वाले निर्माण कार्य से सम्बन्धित व्यय अनुमान परिषद अनुमोदन हेतु।	सर्वसम्मति से 59 निर्माण कार्यों का व्यय अनुमान स्वीकार किया गया। नगर अभियन्ता अग्रेतर कार्यवाही करें।
17. शासनादेश सं० 268A/9-1-91-503 (सा० स० अनु०) 91 दिनांक 11.3.92 के अन्तर्गत नगर में सड़क एवं नाली सुधार/मरम्मत हेतु प्राप्त अनुदान रु 10,00,000/- से कराये जाने वाले कार्य का व्यय अनुमान परिषद अनुमोदन हेतु।	इस प्रस्ताव पर सै० मेंहदी हसन मान्य सभासद ने कहा कि जिन सभासद के क्षेत्र में 13,60,000/- के अनुदान से कराये जाने वाले कार्यों में अधिक धन का कार्य स्वीकृत हुआ है, उनके वार्ड में इस 10,00000/- रुपये जाय

प्रस्ताव	निर्णय
7.	के अनुदान से काफी अधिक कार्यों से वंचित रहा। जबकि और जिन सभासद के क्षेत्र में 13,60,000/- के अनुदान से कम व्यय का कार्य स्वीकार हुआ है, उन्हें 10,00,000/- के अनुदान के अन्तर्गत अधिक व्यय का कार्य आवंटित किया जाय, जिसका समर्थन श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, मान्य सभासद ने किया। जबकि श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि 10 लाख का व्यय अनुमान्य अनुदान, इस शर्त के साथ पारित किया जाय कि वह बोर्ड की आम सहमति से किया जाय और इसे सिर्फ बोर्ड के निर्वाचित सभासदों के कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर व्यय किया जाय।
18 प्रस्ताव बाबत लाइनबाजार से आबकारी रोड, कलेक्ट्रेट, स्टेट बैंक से होते हुए डा० श्री भीमराव अम्बेडकर मूर्ति-स्थल - दीवानी चौराहे तक जाने वाले नाले जो लगभग 1 किलोमीटर लम्बा, एक फिट चौड़ा, तथा एक फिट से 3 फिट तक गहरा है, के कच्चा कंक्रीट सिल्ट की सफाई हेतु 25/-	स्वीकार।

प्रस्ताव सं० 27 दिनांक 25-5-92

शासनादेश सं०3308/9-1-90-303[illegible]/91, दिनांक 11-3-92 के अन्तर्गत " [illegible] अनुदान से कराये जाने वाले कार्यों की सूची।

कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि
[illegible] में श्री शिवपूजन के मकान से श्री [illegible] के मकान तक सोलिंग नि०	33,337=65
[illegible] में नोनहरा में श्री तुलसीराम के मकान से श्री [illegible] के मकान तक सोलिंग एवं नाली निर्माण -	21,406=84
[illegible] में [illegible] कम्पाउन्डर के मकान के पास नाली एवं [illegible] नाली नि०	13,131=11
[illegible] में श्री मिर्जा [illegible] के मकान से सुल्तानपुर पक्की सड़क तक सोलिंग एवं नाली निर्माण -	33,477=40
[illegible] में श्री [illegible] गुप्ता के मकान से श्री [illegible] सिंह के मकान तक सोलिंग एवं नाली निर्माण -	33,608=09
मो० उमरपुर में श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह के मकान से इलाहाबाद रोड तक सोलिंग निर्माण -	15,395=20
[illegible] में श्री [illegible] के मकान से [illegible] मजार तक सोलिंग नि०-	29,784=00
[illegible] में श्री [illegible] के मकान से श्री [illegible] के मकान तक नाली एवं सोलिंग निर्माण -	13,734=00
[illegible] में श्री [illegible] के मकान से पानदरीबा रोड तक फर्श एवं नाली निर्माण -	7,611=00
[illegible] में श्री [illegible] के मकान से श्री अमीन के मकान तक फर्श एवं नाली नि०	13,810=24
[illegible] में श्री [illegible] मास्टर के मकान से श्री [illegible] के मकान तक फर्श एवं नाली मरम्मत-	24,703=60
मो० [illegible] में श्री [illegible] पाण्डेय के मकान के [illegible] में फर्श एवं नाली निर्माण -	24,684=65
[illegible] में [illegible] पक्की रोड से [illegible] पक्की रोड को मिलाने वाली गली को ऊँचा करना-	19,999=00
मो० [illegible] में डा० [illegible] के मकान से नाले तक सोलिंग एवं नाली नि०-	35,699=36
[illegible] में श्री हरिमोहन के मकान से उर्दू रोड तक फर्श निर्माण-	33,059=66
मो० [illegible] में श्री पन्नालाल के मकान से पुरानी नाली तक नाली नि०-	15,883=98
मो० [illegible] में श्री हरदेव के मकान से [illegible] रोड तक सोलिंग एवं नाली नि०-	20,427=12
मो० [illegible] में श्री [illegible] के मकान से सोलिंग तक सोलिंग एवं नाली	10,805=98
मो० [illegible] में श्री [illegible] के मकान से [illegible] रोड तक नाली निर्माण -	31,020=50
मो० [illegible] में श्री [illegible] मौर्या के [illegible] से [illegible] तक सोलिंग एवं नाली निर्माण -	20,597=79
मो० [illegible] में श्री [illegible] के मकान के सामने [illegible] निर्माण -	4,394=71
मो० [illegible] में श्री [illegible] के मकान से श्री [illegible] के मकान तक सोलिंग निर्माण -	6,861=70
मो० [illegible] में रानी [illegible] के मकान से उर्दू चौराहे तक नाली की [illegible] का निर्माण -	12,145=77
मो० [illegible] में श्री [illegible] मन्दिर व [illegible] निवास के पास फर्श एवं [illegible] निर्माण -	9,593=[illegible]
मो० [illegible] में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान नं० 56 से [illegible] रोड तक फर्श निर्माण -	[illegible]953=75
मो० उर्दू में श्री परमेश्वर के मकान से [illegible] तक नाली निर्माण -	5,198=57
[illegible] मस्जिद के पीछे मस्जिद से श्री [illegible] के बाड़े तक फर्श एवं नाली नि०	31,163=87
[illegible] रोड से [illegible]पुर आबादी तक सड़क सुधार-	2,91,530=10

29- राजासाहब फाटक से पोखरा माता मन्दिर तक सड़क सुधार-

30- वाराणसी रोड से लाइनबाजार थाना होते हुए पी०डब्लू०डी०तिराहे तक सड़क निर्माण - 3,0[illegible]

योग- 12,[illegible]

अवर अभियन्ता सिटी बोर्ड, जौनपुर

अवर अभियन्ता सिटी

नगर अभियन्ता बोर्ड,

अधिशासी अधि[illegible] जौनपुर

प्रतिदिन की दर से 300 मैनडेज का 7500/- सात हजार पाँच सौ रुपये स्वीकार किये जाने का प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।

19. अन्य विषय अध्यक्ष की स्वीकृति से। — कुछ नहीं

सिटी-बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 25-4.92 के लिये पूरक कार्य सामग्री (एजेन्डा)

1. सफाई बाबत ईशापुर व मरदानपुर में कूड़ा निकासी तथा ईशापुर नाले की सफाई हेतु निम्न व्यवस्था पर होने वाला व्यय परिषद अनुमोदन हेतु — स्वीकार।

(1) 10 बेलदार रु 25/- प्रतिदिन की दर से 6 दिन के लिए कुल रुपया (10x25x6) = 1500=00

(2) भाड़े का ट्रैक्टर 135/- प्रतिदिन की दर से 6 दिन के लिये (135x6) रु 810=00

(3) 8 बेलदार 25/- प्रति दिन की दर से 10 दिन नाले की सफाई हेतु (8x25x10) 2000-00

4310-00

(शाह महमूद अहमद)
नगर-अभियन्ता एवं
कार्यवाहक अधिशासी-अधिकारी,
सिटी-बोर्ड-जौनपुर
25-4-92

(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
25-4-92